



प्रेषक,

सिद्धा शरण पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 11 मई, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर-खीरी में शारदा नदी के दाँयें किनारे पर स्थित ग्राम- गोड़वा व इसके मजरे की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, अनु० एवं नियो० (बाढ़) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-650/काप्रअ/अनिबाम/यू-10/बी-1प्र०, दिनांक 20-04-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित विवरण की एक अदद चालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-09-कटाव निरोधक योजनाएँ-0984-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ (राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत बजट व्यवस्था (चालू श्रेणी) के सापेक्ष रू 1,77,00,000.00 (रूपये एक करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

संगठन/मण्डल/खण्ड			मु० अभि० (शारदा) बरेली/बाढ़ मण्डल, लखीमपुर खीरी/बाढ़ खण्ड शारदानगर , लखीमपुर-खीरी								
(धनराशि लाख रू० में)											
क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुदान सं०/ लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का सन्दर्भ शासनादेश सं० तथा दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a) / गठित अनुबन्ध की लागत (b)	अनुबन्धित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/ पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन (a)/ क्रमिक व्यय (b)	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष) (7-9) (b)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में	
										अनुदान सं०/ लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94-4711-01-103-09-84-24 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ (राज्य पोषित)											
1	जनपद लखीमपुर-खीरी में शारदा नदी के दाँयें किनारे पर स्थित ग्राम- गोड़वा व इसके मजरे की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की ेपरियोजना (Latitude:-28.007154"N Longitude: 80.968468" E)	94-4711-01-103-09-84-24 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ (राज्य पोषित)	177.00	28/2026/452/2026/27-2002/3/2026-2, दिनांक 20.03.2026	353.83/ 171.20	216.62	137.21	1.00/ 1.00	215.62	94-4711-01-103-09-84-24	177.00

(रूपये एक करोड़ सतहत्तर लाख मात्र)

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- 3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- (1) तालिका में अंकित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की संख्या-28/2026/452/2026/27-2002/3/2026-2, दिनांक 20.03.2026 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परियोजना-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-09-कटाव निरोधक योजनाएँ- 0984-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ (राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय रू 1,77,00,000.00 (रूपये एक करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्यय के अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4711011030984 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ (राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/ 2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- (3) प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
- (4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- (6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।
- (7) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0(बाढ़), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
- (8) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
- (9) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
- (10) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
- (11) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- (12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
- (13) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।